15/4/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया [illegible] [illegible] के रूप है। निर्णय सुनाया गया Sd/- उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/187

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम लिच्छूराम

किस्म मुकदमाः–177 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः–65/2023

GMS:- 2023/187

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2026		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.जी.एम. के पत्थर नं. 64/359 के किला नं. 24/0.025, 25/0.051 व पत्थर नं. 64/360 के किला नं. 4/0.253, 5/1 की 0.152 हैक्टर कुल 0.481 हैक्टर अ0क0 भूमि लिच्छुराम पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार साकिन 7 एस.जी.एम. खातेदार नाम रिकार्ड है। उक्त रकबा पर लगभग 30 वर्षो से श्मशान भूमि बनी हुई है। जिसके दो तरफ ग्राम पंचायत द्वारा पक्की दिवार बनाई हुई है। उक्त रकबा पर गैर कृषि कार्य हो रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर प्रकरण रकबा रकबाराज किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 ने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा को हम प्रार्थीगण द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 08.12.1958 से खरीदशुदा है। जो कि उस समय रोही सरदारगढ़ के खसरा संख्या 541 में दर्ज थी। इस संबंध में एक दावा माननीय अदालत में विचारधीन है तथा स्थगन भी दिया हुआ है। उक्त रकबा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। मौका पर उक्त भूमि में कोई श्मशान नही है। श्मशान भूमि को पंचायत द्वारा खेल मैदान बना दिया गया है। मौका पर तारबंदी की गई है। लिच्छुराम के पिता द्वारा उपर्युक्त जैर प्रकरण भूमि को बेचान अप्रार्थीगण के दादा व ताउ के पक्ष में किया गया था। उक्त बैयनामा की घोषणा का दावा विचाराधीन है। मौका पर अप्रार्थी लिच्छुराम का कब्जा नही है व हम अप्रार्थीगण खरीददार का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 सरपंच ग्राम पंचायत 7 एस.जी.एम. के अधिवक्ता ने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रकबा की 0.506 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा लगभग 30–35 वर्षो से काश्त नही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 द्वारा बैयनामा दिनांक 09.12.1958 के आधार पर उक्त भूमि का क्लेम बिना कब्जा काश्त होने के पश्चात् उक्त भूमि आराजीराज किया जाना आवश्यक है। जैर प्रकरण रकबा पर ग्राम 7 एस.जी.एम. के ग्रामवासियों के देहांत होने के पश्चात् अन्तिम संस्कार किया जाकर श्मशान के उपयोग में ली जा रही है। ग्राम पंचायत 7 एस.जी.एम. के द्वारा उक्त श्मशान भूमि की चारदिवारी की हुई है तथा दाह संस्कार के शेड बने है। इतने वर्षो से श्मशान भूमि के उपयोग करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लिच्छुराम तथा अन्य अप्रार्थीगण उक्त वर्णित रकबा का गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी 1 अपने विधिक अधिकार खो चुका है। राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर प्रकरण रकबा में से अप्रार्थी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर भूमि रकबा राज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। भूमिधारी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जैर प्रकरण रकबा जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है में गैर कृषि कार्य श्मशान के उपयोग में हो रही है। इसलिये रकबा राज किया जावे। किन्तु धारा 177 आर.टी.ए. में प्रावधान है कि यदि काश्तकार द्वारा गैर कृषि कार्य किया जाता है तो इस प्रावधान के अधीन कार्यवाही की जानी [illegible] प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि गैर कृषि कार्य अप्रार्थी–1 द्वारा [illegible] जा [illegible] है। उक्त रकबा की घोषणा का वाद भी इसी [illegible] बार ग्राम पंचायत का कब्जा है और वह उस [illegible] है तो भी प्रकरण धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत चलने [illegible] किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़